संख्या- 13 /2018/आ0मि0-36/96-आयुष-2-2018-206/2016

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2018

विषय- राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इलाहाबाद के निर्माण हेतु धनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 के क्रम में आपके पत्र संख्या-485/90/मि0नि0/2016-17, दिनॉक 27-1-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इलाहाबाद के निर्माण हेतु रू0 19500000/- (रू0 एक करोड पंचानवें लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीक़ृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में रखी गयी धनराशि मे से प्रथम किश्त के रूप में रू0 9750000 (रू0 सत्तानवे लाख पचास हजार मात्र) का व्यय करने की अनुमति शासनादेश दिनांक 31-03-2018 द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि रू0 97,50,000/- द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदो में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदो पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत न ता स्वीकृत है और न वर्तामान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रायोजना पर आगमी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसायटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या- 13/2018/आ0मि0-36 /96-आयुष-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, इलाहाबाद ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
7- प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग 1/2/(समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ)
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in